आपसी सहमति से तलाक समझौता पत्र

(Mutual Consent Divorce Compromise Deed)

यह समझौता एवं निपटान पत्र (Compromise-cum-Settlement Deed) आज दिनांक _ माह _ वर्ष 2026 को मोहाली में निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया:-

प्रथम पक्ष

श्रीमती ___ पुत्री ___, पत्नी ___, निवासी ___

(जिसे आगे "प्रथम पक्ष" कहा जाएगा, जिसका अभिप्राय उसके विधिक उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं अधिकार-हस्तांतरित व्यक्तियों से भी होगा।)

एवं

द्वितीय पक्ष

श्री ___ निवासी ___

(जिसे आगे "द्वितीय पक्ष" कहा जाएगा, जिसका अभिप्राय उसके विधिक उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं अधिकार-हस्तांतरित व्यक्तियों से भी होगा।)

तृतीय पक्ष

श्री ___ निवासी ___

(जिसे आगे "तृतीय पक्ष" कहा जाएगा।)

चतुर्थ पक्ष

श्रीमती ___ निवासी ___

(जिसे आगे "चतुर्थ पक्ष" कहा जाएगा।)

प्रस्तावना (WHEREAS)

1. यह कि पक्षकारों के मध्य विभिन्न माननीय न्यायालयों में विभिन्न वाद एवं मुकदमे लंबित हैं।

2. यह कि प्रथम पक्ष ने थाना ___ में एफ.आई.आर. संख्या _ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A, 406, 323, 109 एवं 120-B के अंतर्गत अपने पति, ससुर एवं सास के विरुद्ध दर्ज करवाई थी, जिसका विचारण वर्तमान में माननीय न्यायालय ___ _ में लंबित है।

3. यह कि तलाक वाद संख्या __ माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चण्डीगढ़ के समक्ष लंबित है।

4. यह कि अन्य वाद संख्या __ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में लंबित हैं।

5. यह कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पक्ष उक्त एफ.आई.आर. को रद्द (Quash) कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे तथा प्रथम पक्ष उक्त कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगी।

6. यह कि दोनों पक्ष वर्तमान समझौते के अनुसार हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक की संयुक्त याचिका प्रस्तुत करेंगे।

समझौते की शर्तें एवं नियम

सम्मानित व्यक्तियों के हस्तक्षेप एवं मध्यस्थता से निम्नलिखित शर्तों पर समझौता संपन्न हुआ है:-

(क) समझौता राशि

द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष एवं उसके बच्चों ____ के पक्ष में कुल ₹____ का भुगतान करेगा, जो निम्नलिखित दावों के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में होगा:-

- बच्चों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य के भरण-पोषण हेतु।
- प्रथम पक्ष के स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) हेतु।
- दोनों पक्षों अथवा उनके माता-पिता की संपत्ति पर किसी भी प्रकार के दावे के पूर्ण एवं अंतिम निपटान हेतु।

(ख) भुगतान का तरीका

(i) प्रथम पक्ष को भुगतान

द्वितीय पक्ष निम्नानुसार किस्तों में भुगतान करेगा:-

(a) ₹____ धारा 13-बी हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रथम मोशन के समय।

(b) ₹____ द्वितीय मोशन के समय अदा किए जाएंगे। बच्चों के भविष्य की सुरक्षा हेतु यह राशि पुत्री के नाम एफ.डी.आर. (FDR) के रूप में जमा कराई जाएगी।

(c) ₹____ एफ.आई.आर. रद्द कराने की कार्यवाही में इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होने के समय दिए जाएंगे।

(d) ₹____ प्रथम पक्ष द्वारा अपने पति एवं ससुराल पक्ष के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित समस्त वाद/अपीलें वापस लेने के समय दिए जाएंगे तथा शेष राशि द्वितीय मोशन के समय अदा की जाएगी।

(e) उपरोक्त सभी राशियां प्रथम पक्ष द्वारा स्वयं एवं बच्चों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य के भरण-पोषण तथा स्थायी गुजारा भत्ते के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार की जाएंगी।

(ग) एफ.आई.आर. रद्द करवाना

द्वितीय पक्ष (अभियुक्तगण) एफ.आई.आर. रद्द कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करेंगे। प्रथम पक्ष पूर्ण सहयोग करेगी तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएगी।

(घ) धारा 13-बी के अंतर्गत तलाक

समझौते पर हस्ताक्षर होते ही दोनों पक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के अंतर्गत संयुक्त तलाक याचिका प्रस्तुत करेंगे तथा प्रथम एवं द्वितीय मोशन दोनों में उपस्थित होकर सहयोग करेंगे।

(ङ) लंबित मामलों की वापसी

धारा 13-बी के द्वितीय मोशन से पूर्व दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध दायर सभी दीवानी एवं फौजदारी मामलों को वापस ले लेंगे तथा भविष्य में समान कारण से कोई मुकदमा दायर नहीं करेंगे।

(च) बच्चों की अभिरक्षा

दोनों बच्चों की स्थायी एवं पूर्ण अभिरक्षा ___ के पास रहेगी।

(छ) स्त्रीधन, संपत्ति एवं स्वर्णाभूषण

दोनों पक्षों के मध्य स्त्रीधन, चल-अचल संपत्ति एवं स्वर्णाभूषण संबंधी सभी दावे पूर्ण रूप से समाप्त माने जाएंगे तथा इस समझौते के बाद कोई भी पक्ष अथवा उनके माता-पिता इन विषयों पर किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।

(ज) व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं

दोनों पक्ष भविष्य में एक-दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(झ) अंतिम एवं पूर्ण निपटान

₹___ की कुल राशि प्रथम पक्ष एवं दोनों बच्चों के भरण-पोषण, गुजारा भत्ता, प्रतिकर एवं सभी प्रकार के दावों का पूर्ण एवं अंतिम निपटान होगी।

समझौते की सभी शर्तें पूरी होने के पश्चात किसी भी पक्ष को निम्नलिखित विषयों पर कोई दावा शेष नहीं रहेगा:-

- चल एवं अचल संपत्ति
- भरण-पोषण
- स्थायी गुजारा भत्ता

- पूर्व विवाद
- घरेलू हिंसा संबंधी दावे
- दहेज विवाद
- किसी भी प्रकार के दीवानी, आपराधिक अथवा धन संबंधी दावे

संपूर्ण समझौता राशि प्राप्त होने के पश्चात प्रथम पक्ष स्वयं अथवा बच्चों की ओर से द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भरण-पोषण, गुजारा भत्ता अथवा अन्य राशि का दावा नहीं करेगी।

(ञ) समझौते का उल्लंघन

यदि कोई भी पक्ष इस समझौते का उल्लंघन करता है अथवा इससे मुकरता है, तो पीड़ित पक्ष विधि अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ट) सभी मुकदमों की वापसी

दोनों पक्ष एक-दूसरे एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दायर सभी शिकायतें एवं मुकदमे वापस लेने पर सहमत हैं।

(ठ) स्वेच्छा से समझौता

दोनों पक्ष यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस समझौते को पढ़ लिया है, इसकी सभी शर्तों को समझ लिया है तथा बिना किसी दबाव, प्रलोभन, भय अथवा अनुचित प्रभाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्थान : मोहाली

दिनांक : ___

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर : ___

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर : ___

तृतीय पक्ष

हस्ताक्षर : ___

चतुर्थ पक्ष

हस्ताक्षर : ___

गवाह

1. _____

हस्ताक्षर : ___

1. _____

हस्ताक्षर : ___

1. _____

हस्ताक्षर : ___